न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– **श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर आर.ए.एस.**

राजस्व वाद–पत्र संख्या 89/2018

वाद दायरी दिनांक : 18/09/2018

निर्णय दिनांक : 23/10/2018

1. हनुमान पुत्र मूलाराम, जाति जाट, निवासी धमाणा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. शंकरलाल पुत्र मूलाराम, जाति जाट, निवासी धमाणा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

—— वादीगण

बनाम

1. मूलाराम पुत्र श्रीकिशन, जाति जाट, निवासी धमाणा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
2. शाखा प्रबन्धक महोदय, स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0।
3. तहसीलदारजी, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
4. उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

—— प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88 व 188 राज0 काश्त0 अधि0

*उपस्थिति – **श्री कन्हैयालाल माली***
विद्वान अधिवक्ता वादी
श्री ओमप्रकाश तंवर
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
प्रतिवादी संख्या 2 फोरमल पक्षकार हैं।
प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 23/10/2018

–: निर्णय :–

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

Scanned by CamScanner

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के आराजी खाता संख्या 176 के आराजी खसरा नम्बर 577 रकबा 0.5600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1105 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1112 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1121 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1197 रकबा 0.6100 हैक्टेयर चाही–2, खसरा नम्बर 1251 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1252 रकबा 0.1900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1257 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1892 रकबा 1.8200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2024 रकबा 2.6700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2026 रकबा 0.5900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2027 रकबा 0.6500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2028 रकबा 3.5000 हैक्टेयर कुल किता 13 कुल रकबा 11.3100 हैक्टेयर, खाता संख्या 154 के आराजी खसरा नम्बर 1250 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1253 रकबा 0.0400 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.1500 हैक्टयर, खाता संख्या 177 के आराजी खसरा नम्बर 1113 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1114 रकबा 0.0400 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खाता संख्या 178 के आराजी खसरा नम्बर 817 रकबा 1.1100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 818 रकबा 0.7700 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 1.8800 हैक्टयर, खाता संख्या 179 के आराजी खसरा नम्बर 1198 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2040 रकबा 4.1100 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 4.1600 हैक्टयर, खाता संख्या 188 के आराजी खसरा नम्बर 1895 रकबा 3.1200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1896 रकबा 6.7000 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 9.8200 हैक्टयर वाके ग्राम धमाणा, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0 में स्थित है, जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से मुताबिक जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा है तथा इसी अनुसार मौके पर काबिज काश्त एवं खातेदार काश्तकार है तथा लगान सरकारी अपने–अपने हिस्से अनुसार जमा कराते आ रहे हैं। पक्षकारान एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है तथा विवादित आराजीयात पक्षकारान की पैतृक एवं मौरूसी मुश्तर्का आराजीयात होने के कारण वादीगण का बाई बर्थ अर्थात जन्म से ही हक व हिस्सा निहित हैं। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता है, विवादित आराजीयात वरवक्त पर्चा सैटलमेन्ट सम्वत 2011 में वादीगण के दादा श्रीकिशन पुत्र मूला के नाम से जारी हुआ था जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के

सहायक ... (फा0 ...)

Scanned by CamScanner

नाम से दर्ज हैं। इस प्रकार विवादित आराजीयात वादीगण की पैतृक एवं पुश्तैनी आराजीयात है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 मूलाराम के नाम दर्ज आराजी में वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा है जिस पर वे शान्तिपूर्वक काबिज काश्त हैं। प्रतिवादी संख्या 1 जो कि वादीगण के पिता है, जो दीगर व्यक्तियों के बहकावें में आकर विवादित आराजीयात में वादीगण को उनके हक व हिस्से की आराजीयात से महरूम रखते हुये सम्पूर्ण आराजी का बैचान करने पर आमादा है, जिसका प्रतिवादी संख्या 1 को कोई विधिक अधिकार नही हैं। अभी हाल ही में दिनांक 28/08/2018 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ अन्य दीगर व्यक्ति वादग्रस्त आराजीयात पर मौके पर आये तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त आराजीयात इन दीगर व्यक्तियों को दिखा रहा था, जब वादीगण ने इसका कारण पूछा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण को ऐलानिया धमकी दी कि वादग्रस्त आराजी को वह उक्त दीगर व्यक्तियों को बैचान करेगा तथा तुम्हें कब्जे काश्त से बेदखल करेगा, जिससे वादीगण को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने बाबत यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया जाना आवश्यक हुआ हैं।

वादीगण ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर घोषणा इस आशय की फरमायी जावें कि वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 मूलाराम के नाम दर्ज आराजी में वादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा है, इस आशय की घोषणा फरमायी जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि विवादित आराजीयात वर्णित वाद–पत्र के पैरा संख्या 1 में वादीगण के हिस्से की आराजी में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलन्दाजी उत्पन्न न स्वंय करें न अन्य से करावें तथा न कब्जे काश्त से बेदखल करें, न ही उक्त आराजीयात को अब आगे किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बेय, मुन्तकिल विकय आदि करें तथा राजस्व रिकार्ड एंव मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी। दिनांक 08/10/2018 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री ओमप्रकाश तंवर एडवोकेट उपस्थित हुये एवं वकालतनामा व इकबालिया जवाबदावा पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। बाद जांच राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक कम्प्यूटर
(फास्ट ट्रेक) ...

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 फोरमल पक्षकार हैं। वकील वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहा गया हैं। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया। वकील वादीगण साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात सत्य प्रतिलिपी जमाबन्दी सम्वत 2073–2076, मिलान क्षैत्रफल अन्य दस्तावेजात तथा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि पक्षकारान का पूर्वज श्रीकिशन पुत्र मुकना रहा है, जो वादीगण का दादा रहा है, जिसके नाम से सम्वत 2011 में पर्चा विवादित आराजी का जारी हुआ है, जो प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित है, श्रीकिशन क के फौत होने पर वादीगण के पिता मूलाराम के नाम से आराजी दर्ज हुयी है, इस प्रकार विवादित आराजीयात पक्षकारान की पैतृक एवं मौरूसी मुश्तर्का आराजीयात होना साबित होती है, चूंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत पैतृक आराजी में सभी वारिशान का बाई बर्थ (जन्मजात) हक व हिस्सा होता है, ऐसी स्थिति में उक्त आराजीयात में भी कानूनन वादीगण का नियमानुसार हक व हिस्सा बनता है, जिसको प्रतिवादी संख्या 1 ने राजीनामा प्रस्तुत वादीगण के वाद को स्वीकार किया है एवं डिक्री किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नही जताई हैं। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खाता संख्या 176 के आराजी खसरा नम्बर 577, 1105, 1112, 1121, 1197, 1251, 1252, 1257, 1892, 2024, 2026, 2027, 2028 कुल किता 13 कुल रकबा 11.3100 हैक्टेयर, खाता संख्या 154 के खसरा नम्बर 1250, 1253 किता 02 कुल रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खाता संख्या 177 के आराजी खसरा नम्बर 1113, 1114 कुल किता 02 कुल रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खाता संख्या 178 के आराजी खसरा नम्बर 817, 818 कुल किता 02 कुल रकबा 1.8800 हैक्टेयर, खाता संख्या 179 के आराजी खसरा नम्बर 1198, 2040 कुल किता 02 कुल रकबा 4.1600 हैक्टेयर, खाता संख्या 198 के आराजी खसरा नम्बर 1895, 1896, कुल किता 02 कुल रकबा 9.8200 हैक्टेयर वाके ग्राम धमाणा, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी में वादी

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) दूद

Scanned by CamScanner

संख्या 1 को 1/3 हिस्से का, वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्से का एवं शेष 1/3 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। रहन का भार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 पर रहेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23/10/2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जयपुर)

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) द्वितीय जिला झुंझुनूं (राज.)

व इजलास श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर, आर॰ ए॰ एस॰

1. हनुमान पुत्र मूलाराम 2. रामलाल पुत्र मूलाराम, जाति जाट बनाम 1. मूलाराम पुत्र श्री किशन, जाति जाट साकिन ... तह॰ चिड़ावा व जिला ... तह॰ चिड़ावा

मुकदमा नं 89/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री कर्ण सिंह ... एडवो॰

व हाजिरी मिनजानिब मुदई रूबरू श्री ओमप्रकाश ... एडवो॰

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खाता नं. 176 के अन्तर्गत ख॰ नं. 577, 1105, 1112, 1121, 1197, 1251, 1252, 1257, 1892, 2024, 2026, 2027, 2028 कुल किता 13 कुल रकबा 11.3100 हे॰, खाता नं. 154 के ख॰ नं॰ 1250, 1253 किता 02 कुल रकबा 0.1500 हे॰, खाता नं. 177 के अन्तर्गत ख॰ नं॰ 1113, 1114 कुल किता 02 कुल रकबा

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ... फीसदी ... से आज की तारीख ...

तारीख अदायगी तक ... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 10 सन् 2018 को

जारी की गई।

दस्तखत

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) ...

मुहर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प पर्चा सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

नोट - इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकैन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

या 0.1400 है०, खाता सं. 178 के आराजी ख०नं० 817, 818 कुल किता 02 कुल रकबा 1.8800 है०, खाता सं. 179 के आराजी ख०नं. 1198, 2040 कुल किता 02 कुल रकबा 4.1600 है०, खाता सं. 198 के आराजी ख० नं. 1895, 1896 कुल किता 02 कुल रकबा 9.8200 है० वाके ग्राम धामाण्या तह० मौजमाबाद जिला जयपुर में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज आराजी में वादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा का, वादी सं. 2 का 1/3 हिस्सा का एवं शेष 1/3 हिस्सा का प्रतिवादी सं. 1 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। रहन का भार वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 पर रहेगा।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) दूदू

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Shekhawat
Date: 2019.11.15 12:29:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: